सॅख्याः 567/XXIV-2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल,देहरादून।

शिक्षा अनुभाग –3 देहरादून दिनॉक 24 मार्च ,2005

विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/45426/बालि0 के लिये विशेष सुविधा/2004–05 दिनॉक 14–3–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा योजनान्तर्गत इण्टर कालेज द्वारी थापला सरस्वती सैण, टिहरी गढ़वाल में बालिकाओं हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड धनसाली, टिहरी द्वारा गठित आगणन रू01.00 लाख के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में शासनादेश संख्याः 588/ XXIV–2/2004 दिनॉक 27–8–2004 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 7.20 लाख में से व्यय करने करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) – कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय। किसी भी दशा में आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

3– सार्वजनिक धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के

प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक—2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—आयोजनागत— 110 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—04—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो को सहायता—0402— माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा हेतु अनुदान — 20— सहायक अनुदान/ अंशदान / राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—465/XXVII(5)/ दिनॉक 25.03.05 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

सॅख्याः 567 (1)/ XXIV-2/2005तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तरॉचल, पटेलनगर, देहरादून।
2— निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— जिलाधिकारी, टिहरी।
5— कोषाधिकारी, टिहरी।
6— जिला शिक्षा अधिकारी, टिहरी।
7— संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य ।
8— वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
9— कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
10— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,